18/8/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12/07/1993 को अपीलांट के पूर्व पुरुषों के पक्ष में डिक्री पारित की गई जिसकी पालना भूमिधारक तहसीलदार फोकल द्वारा आज तक नहीं की गई है अपीलांट ने अपीलाधीन आराजी को	हस्ताक्षर उ.अ.नि.

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का निवेदन बार-बार लिखित व मौखिक रूप से किया गया, मगर अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार पोकरण द्वारा बार-बार टालमटोल की जाती रही कि पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर के यहां आगे के निर्देश के लिये है व राज्य पैरोकार की सलाह व राय लेनी है। बाद में कहा कि राजस्व मण्डल अजमेर में अपील करने जा रहे हो बार-बार बहाने बाजी करते रहे रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। अतः अपीलांट के आवेदन को स्वीकार करमाया जावे। राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आवेदन में लिखित बहस पेश कर रहा हूं। लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हस्तगत आवेदन पत्र निष्पादन चाहने वाले पक्षकार द्वारा डिक्री जारी। हस्ताक्षरित होने के 12 वर्ष की अवधि में किया जाना चाहिए। अपीलांट उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.07.1995 तक ही पेश कर सकता था, जिसके प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 48 में किये गये है। जिस पर परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के प्रावधानों लागू होते है।
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	PTO

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जिसका अपीलांट ने पूर्णतः उल्लंघन कर सामान्यवर्जित जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश है जो टाईम बार्ड व आउट ऑफ लॉ होने से काबिल खारिज है। अपीलांटगण का उक्त प्रार्थना-पत्र अपूर्ण व म्याद बाहर जाकर पेश किया। मन्दर होने के या शुमार करने का कोई प्रार्थना-पत्र व कारण तक पेश नहीं किया है। अपीलांट दानाराम के नाम उपनिवेशन क्षेत्र मोहनगढ व नाचना में एवं उनके पिता दानाराम के नाम उपनिवेशन क्षेत्र मोहनगढ व नाचना में भूमि आवंटन आवेदन में अपनी भूमि फायरिंग रेंज में जाना बताकर उसके बदले अन्य भूमि नहीं पाना स्वीकार किया है, उनके बयानों से उक्त निर्णय व डिक्री की भूमि का परित्याग स्पष्ट अभिव्यक्त हो रहा है। अतः अपीलांट का आवेदन खारीज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि न्यायालय द्वारा द्वारा दिनांक 12/07/1992 को प्रार्थीगण के पिता के नाम डिक्री जारी की गई जिसकी	

[illegible] 18.8.24

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पालना पत्रावली रिकॉर्ड में आज तक नहीं की गई। अधीनस्थ डिक्री पारित किये तकरीबन 20 वर्ष हो गये है हस्तगत आवेदन डिक्री की पालना करवाने के लिए पेश किया लेकिन प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को निर्णय की पालना के लिए आवेदन पेश किया इसका कहीं न तो उल्लेख किया तथा इस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेज नहीं है। हस्तगत आवेदन म्याद बाहर पेश किया गया। हस्तगत आवेदन उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजात के अभाव में सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर